



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 भाद्र 1947 (श10)
(सं0 पटना 1467) पटना, बृहस्पतिवार, 4 सितम्बर 2025

उद्योग विभाग

अधिसूचना
3 सितम्बर 2025

सं0 05/स0 बियाडा (भू0 हस्तांतरण भागलपुर)—50/2025/4124—मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक — 05.08.2025 के मद सं0—10 में दी गयी स्वीकृति के आलोक में भागलपुर जिला अन्तर्गत अंचल—गोराडीह के मौजा—मोहनपुर, थाना सं0—476, खाता सं0 —64 के खेसरा संख्या— 58 एवं 62 में क्रमशः 50.23 एकड़ एवं 46.66 एकड़ कुल प्रस्तावित रकवा—96.89 एकड़ अधिशेष के तहत अर्जित बिहार सरकार की भूमि पर नव इंडस्ट्रियल कॉरिडोर निर्माण हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक—769 दिनांक—05.08.2025 द्वारा उद्योग विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम 1974 की धारा— 2 (f), 3, 4 (A) (i), 9 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु उक्त भूमि को उद्योग विभाग द्वारा बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा), पटना को हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त प्रस्तावित रकवा—96.89 एकड़ को नव इंडस्ट्रियल कॉरिडोर निर्माण हेतु अधिसूचित किया जाता है।

4. उक्त हस्तांतरण इस शर्त के साथ की जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि दी जा रही है, उसमें उसकी उपयोगिता नहीं रहने पर भूमि स्वतः उद्योग विभाग को लौट जाएगी।

5. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक — 636/रा0 दिनांक— 12.03.1991 एवं खास महाल मैनुअल के प्रावधानों तथा समय—समय पर निर्गत राजस्व विभागीय परिपत्रों से यह हस्तांतरण आच्छादित होंगे।

- 6 उक्त प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
7. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
8. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1467-571+10-डी0टी0पी0
Website: : <https://egazette.bihar.gov.in>